

123/22

अप्रावली बाब राष्ट्रीय लोक अदालत  
 2022 के तहत गठित बैंच के समक्ष  
 प्रस्तुत हुई। अपीलों के आधिवक्ता  
 उपास्थित पक्षकारान इवारा लोक अदालत  
 की भावना से प्रेरित होकर पूर्व समझावश  
 के दौरान दिनांक 7.3.22 को प्रस्तुत  
 राजीनामा व विभाजन प्रस्ताव अनुसार  
 राजीनामा न्यायालय इवारा तस्दीक  
 किया जा चुका है। लिहाजा माजिक  
 राजीनामा अपीलों की अपील स्वीकार  
 की जाकर अपीलार्थी विभाजन स्वीकृति  
 अधिस 13.6.2014 अर्पास्त किया जाता है,  
 तथा उठरग अधिनस्य न्यायालय तहसील  
 सिमरौरी को इस निर्देश के साथ प्रतिक्रिया  
 दिया जाता है। कि पक्षकारान इवारा  
 राजीनामा के संलग्न प्रस्तुत विभाजन  
 प्रस्ताव अनुसार उनकी सुनवाई एवं  
 सहमती अनुसार नये सिरे से विभाजन  
 प्रस्ताव तस्दीक किये जाने की कार्यवाही  
 करें। अप्रावली निर्देश शुमार होकर  
 नम्बर से कम हो।

12/3/2022  
 अध्यक्ष  
 लोक अदालत

12/3/2022  
 सदस्य  
 लोक अदालत